डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी
रिसर्च फाउंडेशन

नया जम्मू-कश्मीर और नया लद्दाख

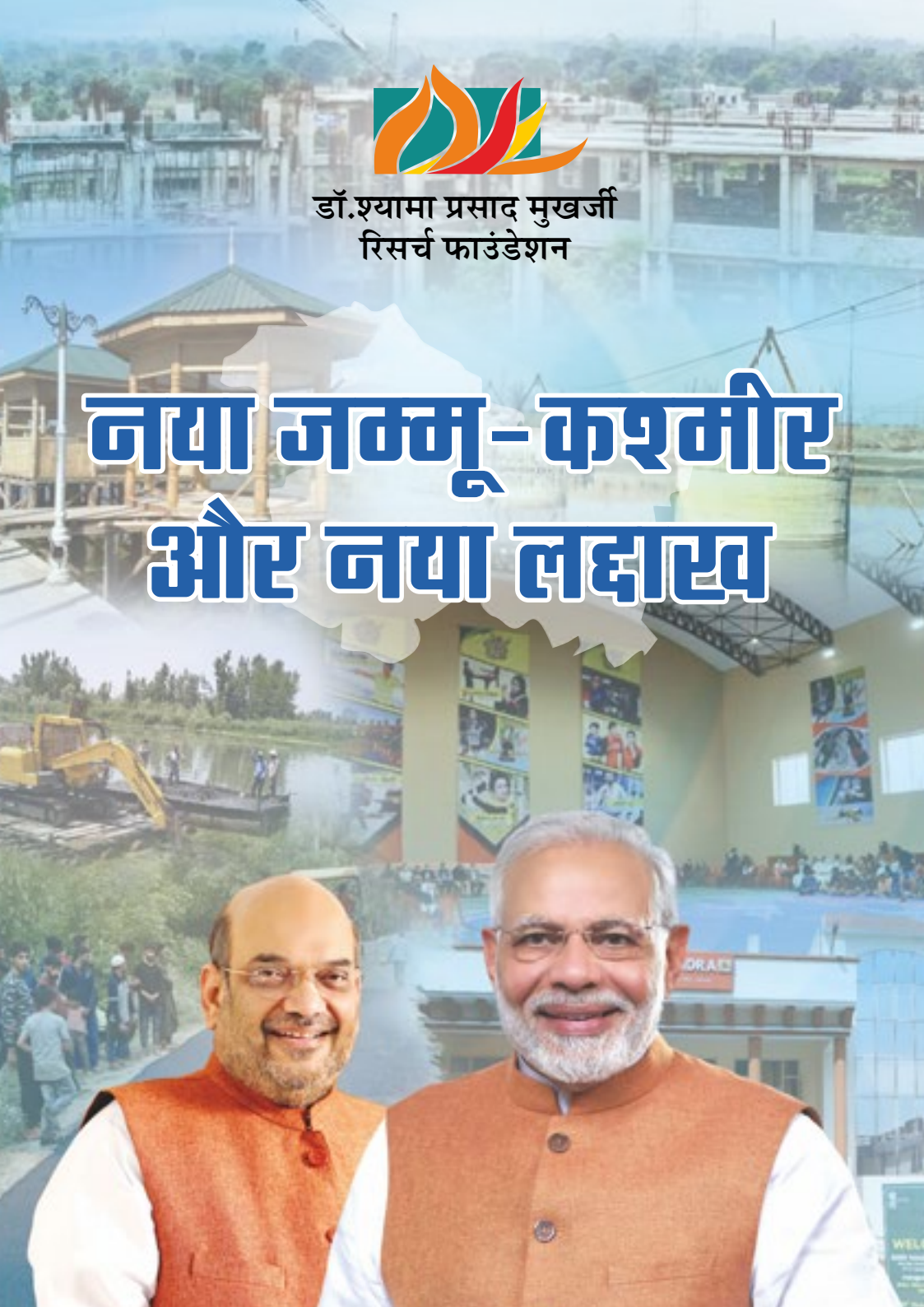

संपादन

आदर्श तिवारी

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

रिसर्च टीम

अभय सिंह

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

मनुजम पांडेय

रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

डिजाइन

अजित कुमार सिंह

अक्टूबर 2020

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-23005850

भूमिका

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए को निष्प्रभावी किए हुए एक साल से अधिक समय बीत चुका है. इस ऐतिहासिक कदम के उपरांत इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि जम्मू-कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जाए. अब इसके एक साल हो गए हैं और सरकार अपने उद्देश्यों में सफल होती हुई दिख रही है. आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास की तमाम परियोजनाओं को गति मिली है. केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं. अनुच्छेद 370 और 35ए घाटी के विकास में बड़ा अवरोधक तो था ही इसके साथ वहाँ के नागरिकों को भी उनके अधिकारों से वंचित रखता था, परंतु अब स्थिति बदल गई है. वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित नागरिकों को उनका अधिकार मिल चुका है. सरकार घाटी में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है. जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद कहा था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नए युग की शुरूआत हुई है. इससे राज्य में विकास, समृद्धि और शांति स्थापित होगी. जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह की तत्परता ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास का मार्ग खोल दिया है. आज एक साल बाद हम वर्तमान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनाओं के अनुरूप तीव्रता से काम हो रहा है. अनुच्छेद 370 और 35ए को निष्प्रभावी होने के पश्चात् आए सकरात्मक बदलावों और विकास के कार्यों को तथ्यात्मक रुप से जानने और समझने की इच्छा हर व्यक्ति की है. इसी के मद्देनजर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने इस बुकलेट को प्रकाशित करने का निर्णय लिया. इस बुकलेट में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चल रहे विकास के कार्यों का प्रमाणिक आकड़ा उपलब्ध है, जिससे आप सहजता से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए कैसे दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है. इसके साथ ही इसमें देश के वरिष्ठ लेखकों, शोधार्थियों द्वारा विकास की तमाम योजनाओं पर विश्लेषणात्मक लेख भी शमिल हैं. हम सभी लेखकों के प्रति आभारी हैं. हम केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और नया जम्मू-कश्मीर टीम के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होनें हमें पर्याप्त आंकड़े और तथ्य उपलब्ध कराए. हमें विश्वास है कि इस बुकलेट को पढ़ने के पश्चात आप अनुच्छेद 370 एवं 35-ए के निष्प्रभावी होने के उपरांत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विकास यात्रा में आई अभूतपूर्व तेजी को तथ्यात्मक रूप से समझ पाएंगे.

डॉ अनिर्बान गांगुली

निदेशक

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फांउडेशन

विषय सूची

1.	नया जम्मू-कश्मीर	5
2.	नया लद्दाख	10
3.	जम्मू-कश्मीर में बह रही बदलाव की बयार - **प्रणय कुमार**	13
4.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के वंचितों को मोदी सरकार से मिला न्याय - **आशीष कुमार अंशु**	16
5.	संवैधानिक बदलाव : जम्मू-कश्मीर में नई शुरुआत - **सन्नी कुमार**	19
6.	अनुच्छेद-370 हटने के एक साल में शांति और विकास के पथ पर बढ़ चला है जम्मू-कश्मीर - **बी. एम. सिंह**	22
7.	जम्मू-कश्मीर का शेष भारत से सही अर्थों में एकीकरण करने में कामयाब रही मोदी सरकार - **रमेश कुमार दूबे**	25
8.	जम्मू-कश्मीर में लिखी जा रही परिवर्तन की पटकथा की महत्वपूर्ण कड़ी है नयी भाषा नीति - **पीयूष द्विवेदी**	28
9.	अनुच्छेद-370 हटने के बाद बदल रही जम्मू-कश्मीर की तस्वीर - **नवोदित सक्तावत**	31
10.	जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद-370 की समाप्ति से टूटी आतंकवाद की कमर, पनप रही विकास की नयी संभावनाएं - **राजीव प्रताप सिंह**	34
11.	जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए संकल्पित केंद्र सरकार - **मनुजम पाण्डेय**	37
12.	जम्मू-कश्मीर में नए युग की शुरुआत, लंबे समय से वंचित व उपेक्षित तबकों को मिलेगा लाभ - **प्रो. रसाल सिंह**	39

नया जम्मू-कश्मीर

अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के बाद पिछले एक वर्ष के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के समुचित एवं सर्वांगीण विकास हेतु उठाए गए कदम.

अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने से कई जनहित क़ानून जम्मू-कश्मीर में लागू, नागरिकों को मिलता लाभ

- 9 अगस्त, 2019 से पहले जम्मू- कश्मीर में सिर्फ 108 केंद्रीय कानून लागू होते थे, लेकिन Reorganization Act लागू होने के बाद आज सारे जनहित के कानून राज्य में लागू हैं.
- इससे राज्य के लोगों को सुगमता से न्याय मिल सकेगा.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लागू होने से जम्मू-कश्मीर की जनता के मानवाधिकार की रक्षा सुनिश्चित होगी.
- आरटीआई कानून भी अब शेष भारत की तरह जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता आएगी.
- अनुच्छेद 370 की वजह से मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट पहले लागू नहीं था, जो अब हो गया है. इससे दिव्यांगजनों के जीवन में नया सबेरा आया है.
- व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अब जम्मू-कश्मीर में लागू है.
- अनुच्छेद 35-ए के निरस्त होने के साथ ही राज्य में निवेश सम्बन्धी बाधाएं हटी, रोजगार के नए मार्गों का सृजन हुआ है.
- पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मिली जम्मू-कश्मीर की नागरिकता.
- वाल्मीकियों, गोरखाओं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, सशस्त्र सेवा अधिकारियों, विश्वविद्यालय अधिकारियों, केंद्रीय संस्थानों के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अधिकारियों को डोमिसाइल के साथ ही मिला मतदान का अधिकार.
- जमीन आदि से जुड़े कई कानून जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो जम्मू-कश्मीर के नागरिकों से भेदभाव करते थे, अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद खत्म हो गए हैं.
- जमीन अधिग्रहण कानून लागू होने से अब राज्य के लोगों को केंद्रीय कानून के तहत उचित मुआवजा मिलेगा.
- भारतीय दंड संहिता जम्मू-कश्मीर में लागू होने से अब राज्य के लोगों को देश के अन्य राज्यों की भांति ही कानूनी रूप से संरक्षण प्राप्त होगा.
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग लागू होने से

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी .

- सफाई कर्मचारी एक्ट लागू होने से जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी भाईयों के हित सुरक्षित होंगे. यह तबका वर्षों से उपेक्षित था.
- अनुच्छेद 222 में संशोधन होने से अब राज्य के अंदर हाई कोर्ट के जजों का तबादला राज्यपाल की सहमति के साथ ही संभव होगा.
- अनुच्छेद 370 लागू होने के साथ ही राज्य के मंत्री व हाईकोर्ट जज भारतीय संविधान के अनुरूप शपथग्रहण करेंगे और कार्य करेंगे.

स्वास्थ्य व्यवस्था : उत्तम स्वास्थ्य-उत्तम राज्य

- जम्मू-कश्मीर में 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी गई है तथा 1400 पैरामेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है.
- पूरे जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन किया गया है. जिसके तहत 11.41 लाख गोल्ड कार्ड वितरित किए गए हैं तथा 3,48,370 परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं.
- राज्य में पहली बार हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत जम्मू-कश्मीर के विद्यालयों में 8 लाख कार्ड बनाए गए.
- आयुष मंत्रालय द्वारा भदेरवाह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन को मंजूरी.
- घाटी की महिलाओं और बच्चों का भविष्य हो रहा है सुरक्षित
- अनुच्छेद 35-ए के निरस्त होने के साथ ही विवाह के बाद जम्मू-कश्मीर की बेटियों से जो प्रॉपर्टी संबंधी अधिकार छीन जाते थे, उन्हें अब वह प्राप्त हो सकेंगे.
- दहेज प्रथा से जुड़े कानून लागू होने के बाद इस कुप्रथा पर रोक लगेगी.
- तीन तलाक कानून लागू होने से जम्मू-कश्मीर की माताओं व बहनों को इस कुप्रथा से मुक्ति मिलेगी.
- बाल विवाह से संबंधित कानून के प्रभावी होने के बाद बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा.
- पॉक्सो कानून के प्रभावी होने से मासूम बच्चों के शोषण पर लगाम लगेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी.
- आरटीई कानून प्रभावी होने से जम्मू-कश्मीर के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो सकेगा.
- मोदी सरकार के इन फैसलों से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों की ओर बढ़ता जम्मू-कश्मीर
- मोदी सरकार द्वारा आईआईटी एवं आईआईएम को मंजूरी दी गई. जिससे राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.
- नेशनल कॉउन्सिल ऑफ टीचर एडुकेशन एक्ट लागू होने से राज्य में शिक्षक समुदाय को राहत मिलेगी.
- 50 नए डिग्री कॉलेज और 25,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं. ऐसा जम्मू-कश्मीर में पिछले 70 वर्षों में पहली बार हुआ है.
- 13 जुलाई, 2020 को स्कूली शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने हेतु 15 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई. इसका मूल उद्देश्य राज्य में शिक्षा व्यवस्था

को सुधारना है.

- इससे राज्य में शिक्षा का स्तर तो बढ़ेगा ही रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी.
- अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू-कश्मीर के बुनियादी ढांचे के विकास ने पकड़ी रफ़्तार
- गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली से कटरा के बीच 'वन्दे भारत एक्सप्रेस' का शुभारंभ किया.
- कटरा से दिल्ली तक रोड कॉरिडोर के सर्वे का काम पूरा हो चुका है.
- अंजी खड पुल- रियासी जिले में भारत का पहला केबल-स्टे रेल पुल निर्माणाधीन है. एक बार पूरा होने पर यह चेनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा.
- 356 किमी. जम्मू-बारामूला रेलवे लाइन, कश्मीर के लिए एक नई जीवनरेखा. 2020 के अंत तक यह प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना है.

सशक्त होती पंचायत, बढ़ती जनभागीदारी

- अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद हुए पंचायत चुनाव के दौरान लोगों की भागीदारी अभूतपूर्व रही. लोगों ने बड़ी संख्या में मत डाले और धमकाने के आगे झुके नहीं.
- नवंबर-दिसंबर 2018 में पैंतीस हजार सरपंच चुने गए और पंचायत चुनाव में रिकार्ड 74 फीसदी मतदान हुआ.
- पंचायत चुनाव के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई. चुनावी हिंसा में रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी. यह तब हुआ जब मुख्यधारा के विपक्षी दलों ने इस पूरी प्रक्रिया के प्रति उदासीनता दिखाई थी.
- 'बैक टू विलेज' कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें लोगों को नहीं बल्कि समूची सरकारी मशीनरी को लोगों तक पहुंचना पड़ा. आम नागरिकों ने इस कार्यक्रम को सराहा.
- इन प्रयासों का नतीजा यह रहा कि स्वच्छ भारत, ग्रामीण विद्युतीकरण और ऐसी ही अन्य पहलें जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं.

जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ

- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों को शेष भारत की भांति अब जम्मू-कश्मीर में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
- आरक्षण संबंधित कानूनों में संशोधन होने के बाद अब पहाड़ों पर रहने वाले समुदायों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हित संरक्षित होंगे.
- पहाड़ी समुदाय को पहली बार नौकरियों में आरक्षण.
- अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप रहने वाले लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिलेगा.
- जम्मू-कश्मीर तथा लदाख की जनसंख्या लगभग 125 लाख है और ज्यादातर लोग सरकारी पेशे में हैं. इस लिहाज से केंद्र सरकार की योजनाओं से राज्य के लोग अधिक लाभान्वित होंगे.

रोशन होता जम्मू-कश्मीर, बदलती घाटी की तकदीर

- कुपवाड़ा जिले के करनाह तहसील में 12 मेगावाट

हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, जिसकी कीमत 97 करोड़ रुपए है. इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 524 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी. जिससे 32 पंचायतों के 7500 परिवारों को निरंतर बिजली उपलब्ध होगी.

- किश्तवाड़ में किरु पॉवर प्रोजेक्ट (624 MW) के लिए 4000 करोड़ रूपये आवंटित कर दिए गए हैं.
- 1000 मेगावाट पक्कुल-दुल पॉवर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने जा रहा है, यह राज्य का सबसे बड़ा सबसे बड़ा पॉवर प्रोजेक्ट है.
- वे निर्णय जो जम्मू-कश्मीर की आवाम के जीवनस्तर को उपर उठाने में कारगर साबित हो रहे
- सातवां वेतन आयोग राज्य में लागू हो चुका है तथा 4800 करोड़ की पहली किश्त आवंटित भी की जा चुकी है.
- राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारी अब मेडिकल तथा बच्चों की शिक्षा संबंधी भत्तों के हकदार होंगे.
- जम्मू-कश्मीर में अबतक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान 10 हज़ार पोस्ट के लिए चलाया गया है और इसमें निम्न स्तर पर साक्षात्कार की प्रणाली को खत्म किया जा चुका है.
- गृह मंत्रालय ने सेब की खेती करने वाले किसानों को डीबीटी के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के पैसे हस्तांतरित किए हैं.
- मोदी सरकार ने भारतीय वन अधिनियम से बांस की खेती को अलग कर दिया है. जिसका सीधा फायदा जम्मू-कश्मीर के किसानों को होगा तथा वे उच्च स्तर की खेती कर पाएंगे.
- जम्मू-कश्मीर के किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में वहां एप्पल पार्क, चेरी पार्क आदि की रूपरेखा तैयार की जा रही है.
- किश्तवार में सैफरन पार्क को मंजूरी भी दे दी गई है.
- वैश्विक स्तर पर निवेश समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 13,600 समझौते हुए.
- जम्मू कश्मीर के महामहिम उप राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में 1.5 लाख वृद्धजनों के लिए पेंशन को मंजूरी दिया है.

आतंकवाद से मुक्ति और शांति के पथ पर अग्रसर जम्मू-कश्मीर

- नरेंद्र मोदी सरकार शुरू से ही घाटी में अमनचैन और शांति स्थापित करनेके लिए पूरी तरह प्रतिबध्द रही है.
- पिछले कुछ महीनों में आतंकवाद-रोधी अभियानों में काफी प्रगति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घाटी में आतंकवादी गतिविधियां अपने अंतिम चरण में है.
- गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवाद को लेकर जीरो टोलरेंस की नीति ने यह संभव कर दिखाया कि जम्मू-कश्मीर आतंक मुक्त हो सकता है.
- वर्ष 2020 में अब तक 110 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं, इन मारे गए आतंकियों में वे भी शामिल हैं जिन्होंने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था.

एशिया की सबसे बड़ी सुरंग जोजिला का निर्माण युद्धस्तर पर

- लदाख को जोड़ने हेतु Z-Morh तथा Zoji-la टनल पर कार्य तीव्रता से चल रहा है तथा दोनों के क्रमशः जून, 2021 और जून, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है.
- श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट ऊंचाई पर बनने वाली इस टनल की कुल लंबाई करीब 14.5 किलोमीटर होगी.
- जोजिला टनल को बनाने में करीब 7000 करोड़ की लागत आएगी. इंजीनियरों के अनुसार इससे बनने में करीब पांच साल लगेंगे.
- जोजिला टनल के बन जाने से कारगिल तक सड़क संपर्क पूरे साल बहाल हो जाएगा. बर्फबारी के चलते अभी सात महीने सड़क संपर्क बंद रहता है.
- इस टनल को बनाने में स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा. जिससे लेह-कारगिल में आर्थिक सुधार भी होने की आशंका है.
- इस सुरंग के बनने के बाद जोजिला से गुजरने में लगने वाला वक्त 3.5 घंटे से घटकर सिर्फ 15 मिनट रह जाएगा.
- जोजिला सुरंग इमरजेंसी लाइटिंग, वेंटिलेशन, मैसेज साइन, ट्रैफिक लॉगिंग, पावर सप्लाई, सीसीटीवी, वैरिएबल इक्विपमेंट, ओवर हाइट व्हीकल डिटेक्शन, टनल रेडियो सिस्टम जैसी सुविधाओं से लैस होगी.
- जोजिला सुरंग में हर 125 मीटर के बाद इमरजेंसी टेलीफोन व फायर फाइटिंग केबिन की व्यवस्था होगी. इसके साथ ही इस सुरंग में पैदल जानें वालों के लिए हर 250 मीटर पर रोड क्रॉस करने की व्यवस्था होगी.
- जोजिला सुरंग सेना के लिए वरदान साबित होगी. अभी सेना को लेह-कारगिल अन्य सैन्य पोस्ट के लिए खाद्य सामग्री ले जानें में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. बर्फ से रोड बंद होने के कारण 6 महीने का ही समय मिल पाता है. सुरंग बन जाने के बाद 12 महीने आवागमन सुचारू रहेगा.
- इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में 11,517 किलोमीटर लंबी 1858 सड़कों और 84 पुलों का निर्माण अब तक किया जा चुका है.

अंतिम जन तक पहुँच रही केंद्र सरकार की योजनाएं

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 77,252 घरों का निर्माण.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 9.86 लाख किसानों को लाभ मिल चुका है.
- सौभाग्य योजना से 3,57,405 घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य पूर्ण हो चुका है.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलिंडर दिया गया है.
- मिशन इन्द्रधनुष (जम्मू) 1353 बच्चों और 381 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया.
- स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा जम्मू-कश्मीर 100% ओडीएफ .

नया लद्दाख

अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के बाद पिछले एक वर्ष के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लद्दाख के समुचित एवं सर्वांगीण विकास हेतु उठाए गए कदम.

केंद्र सरकार के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं

- लद्दाख के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है, जिससे उन्हें निर्णय लेने और केंद्र सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने में मदद मिल रही है.
- लद्दाख के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिससे यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिली है.
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए 5,154 करोड़ रुपए आवंटित किए जो पूर्व की अपेक्षा सबसे अधिक है. इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में भी 5,958 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं. बजट में निरंतर हो रही बढोत्तरी यह दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार लद्दाख के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

सर्दियों के दौरान मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति

- लद्दाख की जनता को अब बिजली की समस्या से निजात मिल गया है. इसी वर्ष फरवरी से राज्य में चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है. दूरदराज के क्षेत्रों में डीजी सेट (58 nos) की उपलब्धता को बढ़ाकर 8 घंटे प्रति दिन कर दिया गया.
- लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायु सेना की मदद से 415 मीट्रिक टन ताज़ी सब्जियाँ और आवश्यक वस्तुएँ लाई गईं.
- सर्दियों के कारण संचार व्यवस्था में व्यवधान न हो इसके लिए 18 सैटेलाइट फोन लदाख के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं.

डिजिटल लद्दाख की दिशा में बढ़ते कदम-

"लद्दाख कनेक्ट" और "लद्दाख कोविड -19", लद्दाख से बाहर रह रहे लद्दाख के निवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए इन एप्लीकेशन को लाँच किया गया.

ब्लॉक और पंचायतों के सशक्त होने से जनता को मिली शक्ति

- स्थानीय निकाय को सशक्त बनाने की दिशा में प्रशासन द्वारा सरपंचों को मासिक भत्ते का प्रावधान किया गया है.
- बीडीसी के नव निर्वाचित अध्यक्षों का प्रशिक्षण हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित किया गया. जिससे उन्हें लोकतंत्र की सबसे मजबूत और प्रभावी इकाई की शक्तियों को जानने-समझने का अवसर प्राप्त हुआ.

लद्दाख के समुचित विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा की गई अभिनव पहल

- गृहमंत्री अमित शाह ने लद्दाख में पॉवर प्रोजेक्ट्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखने को मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.
- लद्दाख के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान को 30.80 करोड़ रुपये (पूंजी) और 16.45 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है. यह राज्य की परम्पराओं को लेकर सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है.
- एसईसीआई द्वारा 7500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का कार्य जारी है.
- फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, लेह को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लद्दाख में अपग्रेड किया जाएगा. पर्यटन मंत्रालय द्वारा 33.00 करोड़ कि लागत से प्रस्तावित आईएचएम का क्रियान्वयन भी तेज़ी से हो रहा है. इससे युवाओं को ज्यादा लाभ प्राप्त होगा.
- NSAP के तहत 6625 मौजूदा और नव स्वीकृत लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत वितरित किए गए.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना (PMGKAY) के तहत 2158.41 मिलियन टन चावल और 87.65 मिलियन टन दाल का वितरण किया गया.
- काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CSIR) लद्दाख बेरी में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहा है. इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास के साथ कृषि योजनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी. इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी.

प्रशासनिक सुधारों के जरिये आम जन का सशक्तिकरण

- रियल एस्टेट (RERA) के तहत नियामक प्राधिकरण बनाया गया है, जिससे आम नागरिकों को लाभ होगा.
- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण समिति की स्थापना की गई है.
- राज्य के समुचित विकास के लिए यूटी प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया.
- सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है.
- कारगिल हवाईअड्डे को व्यापक नागरिक विमानों के लैंडिंग के लिए कार्यात्मक बनाए जाने हेतु व्यवहारिक अध्ययन की शुरुआत की गई है. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को परामर्शी संस्था का कार्य दिया गया. ICAO को 3.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई.

विकास की नई उड़ान, सरकार की सर्वसमावेशी नीति का दिख रहा असर

- Zanskar, Nyoma & Tangtse में टेली मेडिसिन के तहत स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही है.
- लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने के लिए केंद्र ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव की शुरुआत की है. स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत वर्ष 2025 तक लद्दाख को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और जैविक बनाया जाएगा.
- युवाओं के स्किल को विकसित करने के लिए लेह में

नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है.

- लदाख विश्वविद्यालय की स्थापना की गई. जिससे उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के युवाओं को अवसर प्राप्त होगा.

सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख को कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति के सपने को पूरा करने के लिए जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सहयोग से एक कांफ्रेस का आयोजन हुआ, जिसमें इस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर उठाए जा सकने वाले कदमों की चर्चा हुई.

कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए कारगर उपाय

- दो आरटीपीआर मशीनों वाली एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है.
- कोरोना से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए दो कोविड-19 अस्पताल बनाए गए.
- इस संकटकाल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 21,000 से अधिक लद्दाखियों को उनके घर वापस लाया गया है.

लद्दाख के विकास में पंख लगाने वाले आगामी प्रोजेक्ट्स-

- राज्य के विकास के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार 50000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करने की योजना बना रही है.
- जम्मू-कश्मीर की तरह लद्दाख में भी जल्द ही नए डोमिसाइल कानून की घोषणा की जाएगी.
- सुस्त पड़े कार्यों में तीव्रता लाने के उद्देश्य से लगभग 400 करोड़ रुपए का आवंटन.
- प्रशासन के कामकाज में सुधार और जनता की सुविधा के मद्देनजर रिक्त पड़े लगभग 5000 पदों पर न्युक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिससे आम जनता के कार्यों के निष्पादन में तेज़ी तो आएगी ही युवाओं रोजगार भी प्राप्त होगा.
- लदाख में केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ.
- लद्दाख में पीडब्ल्यूडी के प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय एजेंसियों और CPWD, NBCC, WAPCOS आदि को चुना गया है.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लद्दाख में जुलाई 2020 तक 699 किलोमीटर लंबी 96 सड़कों और 2 पुलों का काम पूरा हो चुका है.
- कोरोना वायरस से निपटने के लिए 'लद्दाख कनेक्ट' एप की शुरुआत की गई.
- लद्दाख में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है.
- लद्दाख राज्य के लिए नए पुलिस फ़ोर्स का गठन किया गया है.
- लेह में स्थित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट लद्दाख में परिवर्तित किया जाएगा.
- लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लद्दाख पुलिस सर्विस की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा.
- 786 एमएसएमई यूनिट द्वारा 25.4 करोड़ रुपए के बैंक लोन की स्वीकृति.

जम्मू-कश्मीर में बह रही बदलाव की बयार

प्रणय कुमार

राम-मंदिर के शिलान्यास और भूमि-पूजन कार्यक्रम ने संपूर्ण देश-दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. यह सहज एवं स्वाभाविक था. परंतु यह दिवस (5 अगस्त) एक और दृष्टिकोण से ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय महत्त्व रखता है.

इसी दिवस को गत वर्ष जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35 A को हटाने की घोषणा की गई थी. परंतु शिलान्यास एवं भूमि-पूजन के विश्वव्यापी प्रभाव-प्रसारण, आनंद-आह्लाद में इस अनुच्छेद को हटाए जाने के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर उसके व्यापक प्रभाव एवं परिणामों पर पर्याप्त विमर्श-विश्लेषण नहीं हो सका.

अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों से लेकर वहाँ के शासन-प्रशासन और उनकी दैनिक कार्यशैली में आए बदलावों को रेखांकित करने की आवश्यकता है. बीते एक वर्षों में वहाँ संचार और आधारभूत संसाधनों के विकास पर जोर दिया गया है. भ्रष्टाचार पर लगाम कसा गया है.

सरकारी कार्यों का ठेका अब महज कुछ खास रसूखदारों और राजनीतिक घरानों तक सीमित नहीं रहा है. पंचायतों का चुनाव कराकर पंचायत समिति एवं सरपंचों को अधिकार-संपन्न बनाने की दिशा में काम हुआ है. उनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है और वहाँ की आम जनता को उन योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है. सरकारी नौकरियों से लेकर रोज़गार के नए-नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं.

एक आँकड़े के अनुसार बीते एक वर्ष के दौरान लगभग दस हज़ार से भी अधिक लोगों को सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं और पच्चीस हज़ार और नौकरियाँ दिए जाने की योजना है. इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर में रह रहे चौवालीस

हजार कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए लगभग छह हजार पद आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से चार हज़ार पर नियुक्ति हो भी चुकी है.

आईआईटी के आने से वहाँ के छात्रों को विज्ञान एवं आभियांत्रिकी की शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर ही बेहतर विकल्प उपलब्ध हुआ है. वहीं एम्स के आ जाने से स्वास्थ्य-सेवा में आमूल-चूल सुधार की आशा जगी है. चिकित्सालयों में आधुनिक चिकित्सा-उपकरण लगने के अलावा डॉक्टरों की भी कमी को दूर करने के प्रयास में तेज़ी आई है.

सरकार की योजना पर्यटन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की है और शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों एवं सार्थक पहल के परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में यह संभव होता भी दिखाई देता है. कश्मीर की डल झील में नौकायन हर किसी का सपना होता है. पर बहुत कम लोग जानते होंगें कि वहाँ का वुलर झील ताजे पानी के स्रोतों वाले झीलों के रूप में संपूर्ण एशिया में विख्यात है.

पिछले एक वर्ष में केंद्र सरकार की पहल पर वहाँ बहुत काम हुआ है. सैकड़ों करोड़ रुपये वुलर झील को पुनर्जीवित करने के लिए आवंटित किए गए हैं और उसके पुनर्जीवन पर बहुत तीव्र गति से कार्य ज़ारी है.

गत वर्ष केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय ने अलगाववादी विचारधारा एवं आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य किया है. गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में घाटी में आतंकी वारदातों में 36 प्रतिशत की कमी आई है. गत एक वर्ष से बड़ी आतंकी घटनाओं में आशाजनक कमी आई है.

2019 में जहाँ घाटी में 52 ग्रेनेड हमले और 6 आई आई डी अटैक हुए थे, वहीं 2020 में यह आँकड़ा घटकर क्रमशः इक्कीस और एक पर आया है. पहली बार जम्मू-कश्मीर के चार मुख्य आतंकी संगठनों- हिजबुलमुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैय्यबा, जैश-ए-मुहम्मद और अंसरगजवत-उल-हिंद के टॉप कमांडर पिछले चार महीनों में मारे जा चुके हैं. मारे गए आतंकवादियों में स्थानीय से लेकर 50 खूँखार एवं ईनामी आतंकवादियों के नाम भी शामिल हैं.

गौरतलब है कि इन आतंकवादियों की गिरफ़्तारी या मारे जाने में सेना को स्थानीय प्रशासन एवं घाटी के आम नागरिकों का भी सहयोग प्राप्त होने लगा है, जो एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है. पहले आतंकियों के जनाज़े पर भारी भीड़ जमा हो जाती थी, जो इन दिनों गुजरे ज़माने की बात जैसी लगती है. अब आतंकियों के शवों को उनके परिजनों की मौजूदगी में दफना भर दिया जाता है.

बीते एक वर्ष में जम्मू-कश्मीर के नौ जिले आतंकवाद-मुक्त घोषित किए गए हैं. पत्थरबाजी

की घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है. एक आँकड़े के अनुसार वहाँ होने वाली पत्थरबाजी में लगभग 73 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.

आतंकियों के मारे जाने या उनकी गिरफ़्तारी पर बुलाए जाने वाले हड़ताल-आंदोलन भी अब गाहे-बगाहे ही सुनने को मिलते हैं. सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर अलगाववादियों एवं आतंकवादियों के वित्तीय स्रोत पर भी शिकंजा कसा है. वहाँ की अवाम को भी अब भली-भाँति समझ आने लगा है कि अलगाववादियों ने उन्हें आतंक और हिंसा की आग में धकेलकर स्वयं मलाई काटी है.

इसके साथ-साथ अलगाववादियों में आई फूट भी सरकार के लिए एक अवसर है. सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत से अलग होना पुलिस-प्रशासन के लिए एक राहत भरी ख़बर है.

धारा 370 और अनुच्छेद 35 A के हटने का सर्वाधिक लाभ जम्मू-कश्मीर की महिलाओं और बेटियों-बहनों को प्राप्त हुआ है. वे आतंक और भय के साए से मुक्त शिक्षा एवं रोज़गार के लिए निडरता से आगे आ रही हैं. आत्मनिर्भरता के लिए उन्हें हस्तकला से लेकर तमाम परंपरागत एवं नवीन कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती भागीदारी महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक ठोस क़दम सिद्ध हो रहा है.

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर केंद्र सरकार ने लद्दाखवासियों की दशकों पुरानी माँग पूरी की थी. वे बीते कई दशकों से इसके लिए संघर्षरत थे. स्वाभाविक है कि इस धारा के हटने की सर्वाधिक प्रसन्नता वहाँ के निवासियों में ही देखने को मिल रही है. वहाँ भी संचार, यातायात एवं अन्य आधारभूत ढाँचे पर तेजी से काम हो रहा है.

पहले जहाँ आवंटित राशि का न्यूनतम हिस्सा ही लेह-लद्दाख पहुँच पाता था, वहीं अब उनके लिए बजट में स्वतंत्र एवं मुकम्मल राशि की योजना की जा रही है.

जाहिर है, बीते एक वर्ष में जम्मू-कश्मीर एवं लेह-लद्दाख में बदलाव की बयार देखने को मिली है, परंतु अभी तो प्रारंभ है, आगे लंबी और कठिन यात्रा अभी शेष है. कोरोना से उत्पन्न संकट ने इसमें निश्चित ही व्यवधान डाला है.

कोरोना काल के बाद सरकार को वहाँ युद्ध-स्तर पर विकास-कार्यों को गति प्रदान करनी होगी. लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दलों, नेताओं एवं उनके प्रतिनिधियों की सक्रियता एवं सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी. शासन-प्रशासन से लेकर व्यवस्था के सभी घटकों के प्रति आम लोगों के भरोसे में आश्वस्तकारी वृद्धि करनी होगी. अच्छी बात है कि सरकार की पहल इस दिशा में देखने को मिल रही है.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के वंचितों को मोदी सरकार से मिला न्याय

आशीष कुमार अंशु

मियां अल्ताफअहमद की गिनती जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेन्स के बड़े नेताओं में होती है. जब नेशनल कांफ्रेन्स की सरकार थी प्रदेश में तो वे मंत्री हुआ करते थे. लगभग दस साल पहले कश्मीर में उनसे मुलाकात हुई थी तो इन पंक्तियों के लेखक ने उनसे दलितों के आरक्षण पर बात की थी, वे इस प्रश्न को सुनने को तैयार नहीं हुए. बाद में यह कह दिया कि कश्मीर में इसकी आवश्यकता नहीं है. जबकि वही स्थानीय मुसलमानों को पिछड़े क्षेत्र के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा था.

दूसरी तरफ कश्मीर में दलित और वंचित समाज दोयम दर्जे की जिन्दगी जी रहा था क्योंकि अनुच्छेद-370 की वजह से दलित समाज कश्मीर के अंदर अपने लिए बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर पा रहा था.

चौंकाने वाली बात है कि यह प्रश्न कभी दलित के नाम पर चल रहे संगठनों, चर्चो और उनकी फंडिंगएजेन्सियों, राजनीतिक संगठनों को बहस के काबिल नहीं लगा. कभी उन्होंने इस मुद्दे पर देश में एक कैंडल मार्च तक नहीं निकाला. किसी निष्पक्ष कांग्रेसी इकोसिस्टम के पत्रकार ने इस पर संपादकीय नहीं लिखा.

कांग्रेस सरकार की विशेष कृपा जिस एनडीटीवी पर रही, उन्हें यह जरूरी मुद्दा नहीं लगा. सरल शब्दों में कहने का अर्थ यह है कि जम्मू—कश्मीर—लद्दाख में अल्पसंख्यक दलित और वंचित समाज के मुद्दे को छोड़ दिया गया था, अपने हाल पर.

बात इतनी ही नहीं थी, मुद्दा यह भी था कि देश अपनी आजादी के जब 73 साल पूरे कर चुका है, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उसके बावजूद 370 और 35ए जैसे कानूनों में जकड़े हुए थे. जिससे वहां की तरक्की रुकी हुई थी. भारत का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग—थलग पड़ गए थे. घाटी तो मानो पिछले 70 से अधिक सालों से आतंकवाद और दहशतगर्दी का प्रशिक्षण शिविर ही बन गया था.

देश के इस हिस्से को मोदी सरकार में पिछले 31 अक्टूबर को दूसरी आजादी मिली. वर्ना 35 ए की

वजह से यहां निवेश पर रोक लगी हुई थी, जिसका बुरा प्रभाव राज्य में रोजगार के नए अवसरों पर पड़ रहा था. वहां के युवाओं को कई लाभ सरकार चाहकर भी देने में अक्षम साबित हो रही थी क्योंकि राज्य में 35 ए लगा हुआ था.

35ए हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के युवाओं को हर वह लाभ मिल सकता है जो दूसरे राज्यों के छात्रों को मिल रहा है. अब राज्य में बाहर से निवेश भी आ सकता है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकते हैं. जब राज्य में निवेश बढ़ेगा, निश्चित तौर पर रोजगार भी बढ़ेगा. और जब रोजगार होगा तो खुशहाली भी होगी और समृद्धि भी.

35ए हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के युवाओं को हर वह लाभ मिल सकता है जो दूसरे राज्यों के छात्रों को मिल रहा है. अब राज्य में बाहर से निवेश भी आ सकता है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकते हैं. जब राज्य में निवेश बढ़ेगा, निश्चित तौर पर रोजगार भी बढ़ेगा. और जब रोजगार होगा तो खुशहाली भी होगी और समृद्धि भी.

पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी जो बंटवारे के समय जम्मू—कश्मीर में आकर बस गए थे. उन्होंने सदा भारत को अपना घर माना. उन्होंने तकलीफ उठाना स्वीकार किया लेकिन पाकिस्तान में रहना नहीं. उन्होंने भारत की मिट्टी से अपने प्रेम की कीमत पर आजादी के बाद से इस देश में नारकीय जीवन जिया है. मोदी सरकार के आने बाद आजादी के बाद उपेक्षित पड़े इन देश प्रेमियों के मुद्दे को सुलझाया गया.

पश्चिमी पाकिस्तान से बंटवारे के समय आए भारत प्रेमियों को अब देश की नागरिकता ही नहीं मिल रही बल्कि उन्हें जम्मू—कश्मीर राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. यह अधिकार शरणार्थियों के साथ-साथ राज्य में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को, गोरखाओं, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र सेना के अधिकारियों, विश्वविद्यालय, केन्द्रीय संस्थान और पीएसयू के कर्मचारियों को मतदान अधिकार के साथ-साथ प्रदान किया जाएगा.

तमाम कथित दलितवादी संगठन इस मौके पर भी चर्च में कैंडल जला रहे हैं. चूंकि उन्हें इशारा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बयान नहीं दिया. वे वास्तव में कांग्रेस प्रमुख, चर्च और एफसीआरए के पैसों पर बयान देने वालों की भूमिका में ही नजर आते हैं. यदि वे वास्तव में दलितों की आवाज होते तो जम्मू—कश्मीर-लद्दाख में दलितों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसकी सराहना जरूर करते.

यह आप भी मानेंगे कि केन्द्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम था कि जम्मू—कश्मीर को 35 ए जैसे काले कानून से मुक्त किया जा सका. अब वहां कश्मीर का नहीं, भारत का संविधान लागू है. भाषा, जाति, लिंग के आधार पर वहां अब कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता.

35 ए की विदाई के बाद अब से अनुसूचित जातियो-जनजातियों और अल्पसंख्यकों को किस प्रकार का लाभ मिल सकेगा. आइए जानते हैं:-

अबसेअनुसूचित जातियों और जनजातियों को केन्द्रीय कानून के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल सकेगा जिससे उन्हें काफी राहत मिलने वाली है और उनके सशक्तिकरण में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है.

अत्याचार निवारण (Prevention of Atrocities) या अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम अब लागू होगा. मोदी सरकार द्वारा लाए गए संशोधन के साथ. यह परिवर्तन वंचित वर्ग के जीवन में बड़ा सुधार लाने वाला साबित होगा.

पश्चिमी पाकिस्तान से बंटवारे के समय आए भारत प्रेमियों को अब देश की नागरिकता ही नहीं मिल रही बल्कि उन्हें जम्मू—कश्मीर राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. यह अधिकार शरणार्थियों के साथ-साथ राज्य में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को, गोरखाओं, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र सेना के अधिकारियों, विश्वविद्यालय, केन्द्रीय संस्थान और पीएसयू के कर्मचारियों को मतदान अधिकार के साथ-साथ प्रदान किया जाएगा.

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग अब वन अधिकार कानून का भी लाभ जम्मू-कश्मीर-लद्दाख क्षेत्र में ले सकेंगे. जंगल में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत निवासियों को जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे है, उन्हें यह कानून जंगल में रहने अधिकार देता है.

पहाड़ी समुदाय को पहली बार जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में नौकरी के अंदर आरक्षण प्राप्त होगा.

पहली बार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को आरक्षण मिलने जा रहा है, जैसा पहले लाइन आफ कंट्रोल के आसपास रहने वालों को मिला करता था.

अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कानून, अब राज्य में लागू होगा. लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होगी. जिसके लिए समय-समय पर अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा ज्ञापन और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे थे. गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर शर्मा के पीआईएल से यह स्पष्ट हो गया था कि कश्मीर मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं. संख्या के आधार पर वह जम्मू-कश्मीर के अंदर एक बहुसंख्यक आबादी है.

आरक्षण कानून और नियमों में संशोधन करके, पहाड़ी और अंतराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय सीमा 5 लाख से 8 लाख कर दी गई है.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

संवैधानिक बदलाव : जम्मू-कश्मीर में नई शुरुआत

सन्नी कुमार

आज के आधुनिक समय में जब कानूनी मान्यता किसी भी अन्य वैधतामूलक उपकरणों से अधिक शक्तिशाली हो गया है, ऐसे में जम्मू एवं कश्मीर की कानूनी स्थिति में आया परिवर्तन निश्चित ही निर्णायक है. यह परिवर्तन नए किस्म के बदलाव को प्रोत्साहित कर रहा है और विकास के समक्ष आ रही संवैधानिक दुविधाओं को भी दूर कर रहा है . ध्यातव्य है कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद द्वारा अनुच्छेद -370 में ऐसे परिवर्तन किए गए, जिनसे जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित विशिष्ट प्रावधान समाप्त हो गए और यह भी शेष भारत की तरह समान अवस्था में आ गया. यह एक क्रांतिकारी बदलाव था क्योंकि लंबे समय से इस बात को लेकर कश्मीर की राजनीति उलझी हुई थी. आज जब इस परिवर्तन के एक वर्ष पूरे हो गए तो यह जानना दिलचस्प होगा कि इन बदलावों से कश्मीर में क्या फर्क आया और यह किस तरह से जम्मू-कश्मीर की बेहतरी में सहायक हो रहा है .

अलगाववादी मान्यताओं का अंत

सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि वर्तमान संशोधन से पूर्व जम्मू एवं कश्मीर शेष भारत से किस प्रकार अलग संवैधानिक स्थिति में था और यह कैसे राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध था. जम्मू एवं कश्मीर को यह विशिष्ट हैसियत अनुच्छेद -370 तथा अनुच्छेद -35A के विभिन्न प्रावधानों से प्राप्त होती थी. यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की ही चर्चा करेंगे. हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता की स्थिति को स्वीकार करता है किंतु कश्मीर में न केवल दोहरी नागरिकता का प्रावधान था बल्कि यहाँ के लिए अलग ध्वज और अलग संविधान भी था. जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य का शेष राष्ट्र के साथ एकीकरण असंभव है. कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं था. वहाँ, आए दिन अलगाववादी विचार को इन्हीं 'कानूनी प्रावधानों' की आड़ में ठीक ठहराने की कोशिश की जाती थी.

इसी प्रकार हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो देश के किसी भी हिस्से में जमीन खरीद सके और वहाँ बस सके. यह एक मौलिक अधिकार है. इस अधिकार के मूल में यह बात है कि सभी

नागरिक बराबर हैं तथा उनमें स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है. किंतु दुर्भाग्य से जम्मू एवं कश्मीर में यह अधिकार लागू ही नहीं होता था. यहाँ दूसरे राज्य के निवासी न तो जमीन खरीद सकते थे, न सरकारी नौकरी पा सकते थे और न ही यहाँ की किसी संस्थान में दाखिला ही ले सकते थे. ऐसी विशिष्टताएं पृथक्तावाद को प्रोत्साहित करती थी.

इसी निरंतरता में देखें तो भारतीय संसद को संघीय व समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है और वो सभी राज्यों पर लागू होता है किंतु जम्मू एवं कश्मीर पर लागू नहीं होता था. रक्षा, विदेश मामले तथा संचार के अलावा किसी भी अन्य कानून को लागू करवाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य होती थी. जाहिर सी बात है कि यह अतिरिक्त शक्ति जम्मू एवं कश्मीर का शेष भारत से एकीकरण को हतोत्साहित करता था. इतना ही नहीं भारतीय दंड संहिता जो पूरे देश में समान कानून की व्यवस्था करता है वो भी यहॉ लागू नहीं था. साथ ही सूचना का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार जैसे प्रगतिशील और आम जन मानस को सशक्त करने वाले कानूनों को भी जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं किया जा सका था. यहॉ तक कि सर्वोच्च न्यायालय भी काफी सीमित शक्ति के साथ ही यहॉ न्यायिक हस्तक्षेप कर सकते थे. इन सब का असर यह होता था कि इस मान्यता को बल मिलता था कि जम्मू एवं कश्मीर एक अलग कानूनी इकाई है.

इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर को जनांकिकी रूप से अलग बनाए रखने के लिए ऐसे कानून बनाए गए थे कि वृहद अर्थों में एकता कभी स्थापित हो ही न पाए. उदाहरण के लिए जम्मू एवं कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह करती थीं तो उस महिला की जम्मू एवं कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी. यह प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर को किसी अलग राष्ट्र की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता था.

उपरोक्त उदाहरणों से इतना तो स्पष्ट है कि जम्मू एवं कश्मीर को प्राप्त ये तमाम विशिष्टताएं उनके विकास में कोई योगदान तो नहीं ही करते थे बल्कि अलगाववादी मानसिकता को खुराक मुहैया कराते थे. इसलिए पिछले वर्ष जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद -370 और अनुच्छेद -35A को निष्प्रभावी बनाया तो इसका पहला बड़ा असर यह हुआ कि अब जम्मू एवं कश्मीर संवैधानिक व कानूनी रूप से शेष भारत की तरह हो गया है. यह एकीकरण की संवैधानिक पुष्टि हुई. यहाँ से एकीकरण की एक नई शुरुआत चिन्हित की जा सकती है.

नए कानूनों का लागू होना

ऊपर के शीर्षक के तहत मूल रूप से संवैधानिक हैसियत की व्याख्या की गई थी कि कैसे वो जम्मू एवं कश्मीर की अलग स्थिति को वैधता प्रदान कर रहा था. इस शीर्षक के तहत हम कुछ ऐसे विशिष्ट कानूनों के लागू होने के प्रभाव देखेंगे जिनसे जम्मू एवं कश्मीर अबतक वंचित रहा था. इसमें सबसे पहले 'सफाई कर्मचारी एक्ट' का उल्लेख करना समीचीन होगा. वस्तुतः, 1950 के दशक में जम्मू एवं कश्मीर ने संकट के समय पंजाब राज्य से अनेक सफाई कर्मियों को अपने यहाँ बुलाया. और एक बार जब संकट समाप्त हो गया तो उन्हें इस आधार पर सुविधाओं और राज्य की नौकरियों से वंचित कर दिया कि वो जम्मू एवं कश्मीर के नागरिक नहीं थे. इससे इनकी

स्थिति अत्यंत दयनीय बनी रही. अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जम्मू एवं कश्मीर में सफाई कर्मचारी एक्ट लागू करके इनकी स्थिति सुधारी जाएगी. साथ ही डीओपीटी मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए शिकायत निवारण, सिटिजन पोर्टल तथा आरटीआई पोर्टल को भी नए सिरे से शुरू कर दिया है. इनका सम्मिलित प्रभाव वहॉ की पारदर्शी शासन व्यवस्था में दिखेगा और अधिक लोकोन्मुखी शासन संभव हो सकेगा.

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर द्वारा बनाए गए अलग मानवाधिकार कानून को समाप्त कर दिया है तथा अब वहॉ भी 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' कार्य कर सकेगा. इससे मानवाधिकार को लेकर पूरा देश एक नजरिये से व्यवहार कर सकेगा. साथ ही, मंत्रियों की शपथ और उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संदर्भ में भी पूरे देश का कानून एक समान हो गया. इसके अतिरिक्त देखें तो विभिन्न अधिकरण जैसे देश की शीर्ष प्रशासनिक अधिकरण 'सीएटी' भी जम्मू एवं कश्मीर में कार्य कर सकेगी. इससे न केवल न्यायालय का भार कम होगा बल्कि प्रशासनिक दुविधा का आसान निपटारा भी संभव हो सकेगा. सरकारी एजेंसी अपना काम पूरी ईमानदारी और दक्षता से करें इसकी निगरानी के लिए 'केंद्रीय सतर्कता आयोग '(सीवीसी) जैसी संस्था है. दुर्भाग्य से यह संस्था अब तक जम्मू एवं कश्मीर के मामले में दखल नहीं दे सकती थी पर अब ये ऐसा कर सकेगी. निश्चित ही इससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा.

एक अन्य संदर्भ में देखें तो वहाँ कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अब कई सकारात्मक बदलाव मूर्त रूप ले रहे हैं. जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ता जारी कर दिया गया तथा इस प्रकार 4800 करोड़ रूपये जारी किए गए. इसी प्रकार अब वहॉ के कर्मचारियों को पारिवारिक चिकित्सा भत्ता तथा बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता (सीईए) जैसी अनेक सुविधाओं को मुहैया करा दी गई हैं. इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर राज्य लोक सेवा आयोग को भी पुनर्संरचित किया जा रहा है. साथ ही अनेक अन्य रोजगार संबंधी उपायों को शुरू कर रही है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जम्मू एवं कश्मीर में आए संवैधानिक परिवर्तन से वहॉ विकास की नई संभावना बन रही है.

किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधानों में बदलाव का प्रभाव तुरंत दिखे ऐसा नहीं होता, लेकिन यह बड़े बदलाव का वाहक बनता है यह निश्चित है. भारतीय संविधान के संदर्भ में भी इसे हम देख सकते हैं. इसके लागू होने के साथ ही भारत ने तरक्की नहीं कर ली बल्कि इससे तरक्की की बुनियाद पड़ी. जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में किए गए परिवर्तन को भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए. कुछ बदलावों का असर निश्चित रूप से एक साल के भीतर ही देखने को मिल गया, लेकिन इसका असली प्रभाव अगले कुछ वर्षों में दृष्टिगोचर होगा जब सरकारी प्रयास और निजी निवेश के माध्यम से वहॉ विकास के नए प्रयोगों को अपनाया जाएगा. मूल बात यह है कि एक बंद और पृथक क्षेत्र अब खुल गया है. इससे आगे की यात्रा सुगम ही होगी.

(लेखक इतिहास के अध्येता हैं . विभिन्न अखबारों और ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए नियमित लेखन करते हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

अनुच्छेद-370 हटने के एक साल में शांति और विकास के पथ पर बढ़ चला है जम्मू-कश्मीर

बी. एम. सिंह

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने को एक वर्ष पूरा होने वाला है. गत वर्ष उठाए गए सरकारके इस कदम के बाद अब प्रदेश में ज़िन्दगी पटरी पर लौट चुकी है, कानून व्यवस्था की स्थापना से लेकर आतंक की घटनाओं पर भी रोक लगी है.

यह साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि स्थानीय लोगों का प्रशासन पर विश्वास एक बार फिर से बढ़ा है. भारत भर से उद्योग जगत के लोग एक बार फिर घाटी का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बार घूमने-फिरने से ज्यादा उनका ध्यान है कि प्रदेश में कहाँ-कहाँ निवेश की संभावना है.

हालाँकि यह अलग बात है कि 370 हटाये जाने के तुरंत बाद पाकिस्तान समर्थित गुटों ने कश्मीर घाटी में अस्थिरता लाने का प्रयास किया साथ ही स्थानीय लोगों को भी भड़काने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कश्मीर की अधिसंख्य जनता ने इस बार गुमराह होने से इनकार कर दिया.

इससे पहले इतिहास में जो नहीं हुआ वह अब यहाँ हो रहा है. अब देश के अन्य राज्यों के निवासी जो जम्मू कश्मीर में सर्विस कर चुके हैं, यहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं और घर बसा सकते हैं. अनुच्छेद-370 के रहते ऐसा कतई मुमकिन नहीं था.

5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बने एक वर्ष हो जायेगा, ऐसे में यहाँ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा भी लाज़मी है.

जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू पिछले एक वर्ष के अनुभव के बारे में कहते हैं कि घाटी में विकास की प्रक्रिया तेज हुई है. हालांकि पूरी दुनिया में कोरोना के प्रसार के बाद कश्मीर में भी जिंदगी की रफ़्तार थम गई है, इसलिए विकास रफ़्तार में कमी आई है, लेकिन काम हुए हैं.

मुर्मू यह भी दावा करते हैं कि पहले जम्मू-कश्मीर

चिनाब नदी पर निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज

में केंद्र द्वारा जारी की गयी विकास की राशि का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा था. लेकिन अब इसी एक साल के अन्दर कश्मीर के गाँवों में 20,000 से ज्यादा छोटे बड़े विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई है, जिससे घाटी में विकास की धारा बहना तय है.

दरअसल कश्मीर समस्या के कई पहलू थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी पूरी तरह से कश्मीर को भारतीय संघ में एकीकृत नहीं होने दिया. आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के अनिर्णय और अदूरदर्शिता की इसमें बड़ी भूमिका रही. इसमें सबसे पहली शर्त थी जनमत संग्रह की, दूसरी बड़ी गलती हुई थी तत्कालीन भारत सरकार द्वारा कश्मीर मुद्दे को लेकर यूएन में जाने की.

तीसरी बड़ी भूल थी भारतीय सैनिक कार्रवाई को उस समय रोक देने की जब भारत पूरी तरह आक्रमणकारियों को जम्मू कश्मीर की धरती से बाहर खदेड़ चुका था. चौथी समस्या थी अनुच्छेद-370 की, जिसने भारतीय संघ और कश्मीर को पूरी तरह से एकाकार होने की राह को इतने सालों तक बाधित किए रखा.

बहुत से भारतीयों को इस बात का पता नहीं होगा कि आखिर आर्टिकल 370 संविधान में आया क्यों और कैसे? उस वक्त भले ही सरदार पटेल देश के गृह मंत्री थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के हाथों में ही कश्मीर का प्रभार था, यानी कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा था, उसके लिए प्रत्यक्ष तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नेहरू ही ज़िम्मेदार थे.

जम्मू कश्मीर के लिए अलग से अनुच्छेद-370 का विशेष प्रावधान किया गया, जिसको मूर्त रूप देने में शामिल थे जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्लाह, कश्मीर के महाराजा और खुद

जवाहर लाल नेहरू.

कश्मीर मुद्दे को लेकर यूएन जाने का फैसला नेहरू का था, जिसमें सहायक थे लार्ड माउंटबेटन, दूसरी तरफ शेख अब्दुल्लाह के प्रभाव में आकर नेहरू ने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया ताकि शेख अब्दुल्लाह के स्वतंत्र कश्मीर का शासक बनने का स्वप्न पूरा हो सके.

लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हुआ जिसका खामियाजा भारत को आज भी भुगतना पड़ रहा है. नेहरू और अब्दुल्लाह की दोस्ती का नतीजा यह हुआ कि कश्मीर का एक टुकड़ा पाकिस्तान के पास चला गया, वहीं एक बड़ा हिस्सा आज भी चीन के अवैध कब्ज़े में हैं.

आज की नई पीढ़ी के लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि नेहरू की देख रेख में चल रही शेख अब्दुल्लाह की सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को भारत से तोड़ने का षड़यंत्र रच रही थी.

मुर्मू यह भी दावा करते हैं कि पहले जम्मू-कश्मीर में केंद्र द्वारा जारी की गयी विकास की राशि का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा था. लेकिन अब इसी एक साल के अन्दर कश्मीर के गाँवों में 20,000 से ज्यादा छोटे बड़े विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई है, जिससे घाटी में विकास की धारा बहना तय है.

नेहरू को शेख अब्दुल्लाह पर खुद से ज्यादा भरोसा था, इसलिए उन्होंने सरदार पटेल को कश्मीर के मुद्दे से हमेशा ही अलग रखा ताकि वह अब्दुल्लाह को खुश रख सकें. लेकिन जब नेहरू के हाथों में शेख अब्दुल्लाह के टेप और पत्र दिए गए और उनके षडयंत्रों का भंडाफोड़ हुआ तब सारे शेख के खिलाफ 1958 में मुक़दमा दर्ज करने के लिए नेहरू को मजबूर होना पड़ा.

कश्मीर कांस्पीरेसी केस में शेख अब्दुल्लाह, मिर्ज़ा अफज़लबेग और 22 अन्य के खिलाफ देश द्रोह का मामला लगाया गया. भारत सरकार के पास इस तरह के सबूत हाथ लग गए थे कि शेख अब्दुल्लाह को हिरासत में लेना नेहरू की मजबूरी बन गई थी.

यह बातें जम्मू-कश्मीर समस्या के इतिहास का हिस्सा हैं. इनके आईने में यह साफ़ है कि नेहरू ने अपनी मनमानियों और अदूरदर्शी नीतियों के कारण किस तरह जम्मू-कश्मीर को को एक समस्या बना दिया था, लेकिन आज मोदी सरकार के शासन में उसका समाधान हुआ है.

अनुच्छेद-370 हटने के इस एक साल में सूबे में संभावनाओं के नए मार्ग खुले हैं, जिसपर चलते हुए जम्मू-कश्मीर निश्चित ही विकास की एक नयी इबारत लिखेगा. इस एक साल में बदलावों की जो बुनियाद सूबे में नजर आ रही, आने वाले समय में उसपर निःसंदेह विकास की एक भव्य इमारत खड़ी होगी.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.

जम्मू-कश्मीर का शेष भारत से सही अर्थों में एकीकरण करने में कामयाब रही मोदी सरकार

रमेश कुमार दूबे

अपनी स्थापना से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तुष्टिकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जिसका नतीजा देश विभाजन के रूप में सामने आया. विभाजन के बाद आम धारणा बनी थी कि मुस्लिम सांप्रदायिकता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कांग्रेसी सरकारों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण की नीतियों को जारी रखा.

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम बहुल रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का नरम रवैया बना रहा. तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हैदराबाद और जूनागढ़ की समस्या का स्थायी उपाय कर दिया लेकिन कश्मीर मामले में नेहरू के अत्यधिक दखल के कारण वे कश्मीर का भारतीय संघ के साथ पूरी तरह एकीकरण नहीं कर पाए.

भारतीय जनसंघ और तत्कालीन विधि मंत्री डाक्टर भीमराव आंबेडकर के विरोध के बावजूद नेहरू की मंशा से संविधान के अनुच्छेद-370 और राष्ट्रपति की आदेश संख्या 35ए के तहत कश्मीर के लिए ऐसी अनूठी व्यवस्थाएं की गईं जो अलगाववाद का कारण बनीं.

उदाहरण के लिए कश्मीर के लिए अलग ध्वज, अलग संविधान, दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान किए गए. कई प्रावधान तो ऐसे थे जो सीधे-सीधे अलगाववाद को बढ़ावा देते थे जैसे शेष भारत के नागरिकों को कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती लेकिन पाकिस्तानियों को मिल जाती थी.

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम बहुल रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का नरम रवैया बना रहा. तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हैदराबाद और जूनागढ़ की समस्या का स्थायी उपाय कर दिया लेकिन कश्मीर मामले में नेहरू के अत्यधिक दखल के कारण वे कश्मीर का भारतीय संघ के साथ पूरी तरह एकीकरण नहीं कर पाए.

इसी तरह शेष भारतीय कश्मीर में जमीन-जायदाद नहीं खरीद सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी खरीद सकते थे. जम्मू–कश्मीर में लाखों ऐसे शरणार्थी रह रहे थे जो भारत के नागरिक तो थे, लेकिन कश्मीर के नागरिक नहीं थे.

इन्हीं कारणों से अनुच्छेद-370 अलगाववाद के लिए उर्वर जमीन मुहैया कराता रहा. इसका नतीजा यह हुआ कि कश्मीर शेष भारत से अभिन्न रूप से जुड़ नहीं पाया. दूसरे, कांग्रेसी सरकारों ने कश्मीर की आम जनता से जुड़ने के बजाए मध्यस्थों का सहारा लिया और उन्हें भरपूर मदद दी गई.

इन मध्यस्थों ने केंद्र सरकार की कमजोरी का जमकार फायदा उठाया और आम कश्मीरियों में अलगाववादी भावनाएं भरीं. नतीजा यह हुआ कि कश्मीर में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ने लगीं. 1989 से ही राज्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद-अलगाववाद की चपेट में आ गया और गैर मुस्लिमों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया गया.

चूंकि अनुच्छेद-370 आतंकवाद की जड़ था, इसलिए जैसे-जैसे कश्मीर में आतंकवाद-अलगाववाद बढ़ा वैसे-वैसे इसे हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी. लेकिन मुस्लिम वोट बैंक खोने के डर से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में रखा और धीरे-धीरे जनमत बनाना शुरू किया.

2014 के आम चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद से ही मोदी सरकार अनुच्छेद-370 खत्म करने की कवायद में जुट गई. 2019 में पुनः मिली बंपर जीत से संसद के दोनों सदनों में पार्टी और मजबूत होकर उभरी. फिर 5 अगस्त, 2019 को आखिर मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-370 और आदेश 35 ए को समाप्त करते हुए राज्य को दो भागों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट कर इन्हें केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया.

कांग्रेस और वामपंथियों ने जहां सरकार को गंभीर नतीजे की चुनौती दी तो वहीं वामपंथियों को छोड़कर सभी दलों के प्रगतिशील नेताओं ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन किया.

इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि कांग्रेस द्वारा कश्मीर में पोषित बिचौलियों की फौज को नजरबंद करके सीधे जनता से संवाद की नीति अपनाई. इसका नतीजा यह हुआ कि आतंकवाद को मिलने वाले जन समर्थन में कमी आई.

इसके बाद केंद्र सरकार ने देश के सभी कानूनों व योजनाओं को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लागू कर दिया. धार्मिक आधार पर जो भी भेदभाव वाले प्रावधान थे उन्हें निरस्त करते हुए सभी निवासियों को नागरिकता दी गई. पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए.

भारतीय जनसंघ और तत्कालीन विधि मंत्री डाक्टर भीमराव आंबेडकर के विरोध के बावजूद नेहरू की मंशा से संविधान के अनुच्छेद-370 और राष्ट्रपति की आदेश संख्या 35ए के तहत कश्मीर के लिए ऐसी अनूठी व्यवस्थाएं की गईं जो अलगाववाद का कारण बनीं.

आज हम देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से न केवल आतंकवाद-अलगाववाद में कमी आई है, बल्कि आम जनता को राहत मिली है. अब कश्मीर के विकास का पैसा बिचौलियों की जेब में न जाकर सीधे कश्मीरियों के हित में खर्च हो रहा है. 23 गुटों के अलगाववादी धड़े हुर्रियत कांफ्रेंस के हड़ताली कैलेंडर और धरना प्रदर्शन के आह्वान बेअसर होने लगे हैं.

केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में धारा 3ए जोड़कर राज्य/संघ शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय कर दी. इन नए डोमिसाइल नियमों के मुताबिक, जो व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में कम से कम 15 साल रहा है, 10वी या 12वीं की परीक्षा राज्य के किसी संस्थान से पास किया हो, वह जम्मू-कश्मीर का निवासी होगा.

नए नियमों के तहत पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, सफाई कर्मचारियों और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी निवास के हकदार होंगे. समग्रत: मोदी सरकार सही अर्थों में जम्मू-कश्मीर का देश के साथ एकीकरण करने में कामयाब रही और अब प्रदेश के विकास की दिशा में काम लगातार जारी है.

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं. वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं. ये उनके निजी विचार हैं.)

जम्मू-कश्मीर में लिखी जा रही परिवर्तन की पटकथा की महत्वपूर्ण कड़ी है नयी भाषा नीति

पीयूष द्विवेदी

गत वर्ष पांच अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 का उन्मूलन कर आजादी के बाद से ही विवादों में रहे इस प्रदेश का शेष भारत के साथ सही अर्थों में एकीकरण करने का ऐतिहासिक कार्य किया था.

आज इस ऐतिहासिक कदम को एक साल से अधिक का समय बीत चुका है और इन एक सालों में सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संचालित जम्मू-कश्मीर को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. आज केंद्र की सभी कल्याणकारी योजनाएं और क़ानून वहाँ लागू हो चुके हैं, राज्य की डोमिसाइल नीति में भी परिवर्तन हुआ है और विकास की अनेक परियोजनाएं भी राज्य में तेजी से गतिशील हो गयी हैं.

बदलावों की इसी कड़ी में पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'जम्मू कश्मीर अधिकारिक भाषा बिल 2020' को पारित करते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए नयी भाषा नीति की घोषणा कर दी गयी. ज्ञात हो कि अबतक प्रदेश में उर्दू और अंग्रेजी, इन दो भाषाओं को ही आधिकारिक दर्जा मिला हुआ था, परन्तु, इस नयी भाषा नीति के तहत उर्दू-अंग्रेजी के अतिरिक्त और तीन भाषाओं हिंदी, कश्मीरी व डोगरी को भी प्रदेश में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है.

अभी चल रहे संसद के मानसून सत्र में इससे सम्बंधित विधेयक सदन में पेश होने की उम्मीद है, जिसके पारित होते ही जम्मू-कश्मीर में यह नयी भाषा नीति अस्तित्व में आ जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश में उर्दू का भाषाई एकाधिकार भी समाप्त हो जाएगा.

2011 की जनगणना के मुताबिक़, जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी भाषाभाषियों की संख्या पैतालीस लाख है. पचास लाख लोग डोगरी भाषा के भी हैं. शेष

बड़ा तबका हिंदी और उर्दू में अपना भाषा-व्यवहार करता है. लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अनुच्छेद-370 की विभाजनकारी व्यवस्था से ग्रस्त रहे इस प्रदेश में औपनिवेशिक शासन से मिली अंग्रेजी और स्थानीय बहुसंख्यक मुस्लिम समाज की उर्दू के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को उसका यथोचित स्थान व सम्मान नहीं दिया गया.

आज बात-बात में कश्मीरियत की दुहाई देने वाले प्रदेश के राजनीतिक दलों ने और स्थानीय भाषाओं की तो छोड़िये कम से कम कश्मीरी भाषा की भी सुध लेने की जरूरत कभी नहीं समझी. सवाल है कि वो कौन-सी कश्मीरियत थी, जिसमें कश्मीरी भाषा को ही आधिकारिक स्थान नहीं दिया गया? वह कौन-सी कश्मीरियत थी, जिसमें कश्मीरी बोलने वालों पर उर्दू और अंग्रेजी को थोप दिया गया था? जाहिर है, यह सवाल कश्मीरियत के नाम पर दशकों तक अपनी सियासत चमकाने वालों के पाखण्ड को ही सामने लाते हैं.

डोगरी की बात करें तो ये राज्य के जम्मू संभाग में बोली जाती है. इसे संयोग ही कहेंगे कि 2003 में इस भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया था और आज इसे जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाए जाने का काम भी भाजपा की ही सरकार में संपन्न हुआ है.

डोगरी सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध भाषा है. 'डोगराअक्खर' नामक इसकी अपनी लिपि भी रही है, लेकिन समय के साथ इसे देवनागरी लिपि में ही लिखा जाने लगा और अब यही प्रचलन में है. देवनागरी लिपि में डोगरी भाषा का काफी साहित्य उपलब्ध है.

2011 की जनगणना के मुताबिक़, जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी भाषाभाषियों की संख्या पैतालीस लाख है. पचास लाख लोग डोगरी भाषा के भी हैं. शेष बड़ा तबका हिंदी और उर्दू में अपना भाषा-व्यवहार करता है. लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अनुच्छेद-370 की विभाजनकारी व्यवस्था से ग्रस्त रहे इस प्रदेश में औपनिवेशिक शासन से मिली अंग्रेजी और स्थानीय बहुसंख्यक मुस्लिम समाज की उर्दू के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को उसका यथोचित स्थान व सम्मान नहीं दिया गया.

परन्तु, ऐसी समृद्ध और मजबूत भाषा को जम्मू-कश्मीर इतने समय तक हाशिये पर रखा गया तो इसके पीछे प्रदेश के राजनीतिक कर्णधार बने रहे दलों की संकीर्ण राजनीति ही कारण है. बहरहाल, यह संतोषजनक है कि अब डोगरी भाषा को भी प्रदेश में इसकी उचित प्रतिष्ठा प्राप्त होने जा रही है.

कश्मीरी और डोगरी के अतिरिक्त हिंदी को भी जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषा बनाया गया है. भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को देश की राजभाषा के

आज इस ऐतिहासिक कदम को एक साल से अधिक का समय बीत चुका है और इन एक सालों में सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संचालित जम्मू-कश्मीर को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. आज केंद्र की सभी कल्याणकारी योजनाएं और क़ानून वहाँ लागू हो चुके हैं, राज्य की डोमिसाइल नीति में भी परिवर्तन हुआ है और विकास की अनेक परियोजनाएं भी राज्य में तेजी से गतिशील हो गयी हैं.

रूप स्वीकारा गया है. परन्तु, अनुच्छेद-370 के रूप में प्रदत्त विशेषाधिकारों से संचालित जम्मू-कश्मीर में तो अबतक उसका अपना ही संविधान चलता आया था, अतः भारतीय संविधान के इस भाषा-विधान का भी यहाँ कोई अस्तित्व नहीं था. अब जब यह प्रदेश अनुच्छेद-370 से मुक्त होकर सही अर्थों में भारत से एकीकृत होने लगा है, तो हिंदी का वहाँ की आधिकारिक भाषा बनना आवश्यक था.

दरअसल हिंदी वो भाषा है, जो भारतीय समाज के विविधतापूर्ण सांस्कृतिक चरित्र का समुचित प्रतिनिधित्व करती है. इस देश की अधिकांश भाषाओं की तरह संस्कृत से जन्मी हिंदी ने भारतीय संस्कृति के समन्वयकारी स्वरुप का अनुकरण करते हुए अपने भीतर देशी-विदेशी अनेक भाषाओं-बोलियों के शब्दों का समावेश किया है.

जम्मू-कश्मीर में भी उर्दू, कश्मीरी, डोगरी जैसी भाषाओं के बीच हिंदी इस प्रदेश के समस्त सांस्कृतिक वैविध्य को स्वयं में समेटकर देश के अन्य राज्यों से उसका एकीकरण करने में सहायक सिद्ध होगी. साथ ही, अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर और शेष भारत के बीच जो समानता की एक भावना प्रस्फुटित हुई है, उसको भी हिंदी के आधिकारिक दर्जे से निश्चित रूप से बल मिलेगा.

कोई भी भाषा हो, उसका अपना एक विशेष सांस्कृतिक आग्रह होता है. ऐसे में, जब सरकार किसी भाषा को आधिकारिक दर्जा देती है, तो उसके भाषा-भाषियों के समक्ष यही तथ्य स्पष्ट होता है कि सरकार उनके सांस्कृतिक प्रतीकों की रक्षा करने के लिए प्रयास कर रही है. जम्मू-कश्मीर की नयी भाषा नीति के संदर्भ में भी यही सत्य है.

इससे न केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों का केंद्र सरकार पर विश्वास बढ़ेगा बल्कि सरकार के लिए प्रदेश के जनमानस तक अपनी योजनाओं व नीतियों को लेकर जाने में भी सहूलियत हो जाएगी. समग्रतः गत वर्ष अनुच्छेद-370 से मुक्ति के साथ ही प्रदेश में समानता, विश्वास और विकास से युक्त परिवर्तन की जिस पटकथा का आरम्भ हुआ था, उसे यह नयी भाषा नीति निश्चित रूप से बल प्रदान करने का काम करेगी.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

अनुच्छेद-370 हटने के बाद बदल रही जम्मू-कश्मीर की तस्वीर

नवोदित सक्तावत

5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को एक साल पूरा होगा. संयोग से इसकी पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में बहुप्रतीक्षित श्रीराम मंदिर का भूमिपूजन भी होने जा रहा है. यानी यह दिन धार्मिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहने वाला है.

जहां तक अनुच्छेद 370 की बात है, इसे लेकर अब सारी चर्चाएं केवल दो ही बिंदुओं पर आधारित हो गई हैं. 370 हटाए जाने के पहले और बाद. यह ठीक वैसा ही है जैसे आज समाजशास्त्री, इतिहासकार 1947 के पहले और बाद के भारत को अलग स्वरूपों में देखकर पृथकीकरण करते हैं और उस आधार पर विचार व्यक्त किए जाते हैं.

जम्मू-कश्मीर को लेकर भी ऐसा ही है. 5 अगस्त के पहले कश्मीर क्या था, कैसा था, इस पर तो दशकों से बहुत कुछ कहा-सुना और लिखा-पढ़ा गया है, लेकिन अब अधिक सार्थक 5 अगस्त के बाद के कश्मीर पर बात करना है.

यह कहना गलत नहीं होगा कि इस एक साल में कश्मीर की छवि इसकी पूर्ववर्ती छवि से विपरीत बनी है. जो क्षेत्र विध्वंस, पिछड़ेपन का पर्याय बन गया था, वह अब प्रगति के सोपान चढ़ रहा है. सबसे मुख्य बदलाव तो ध्वज और संविधान का था. कश्मीर पुर्नगठन का बिल लोकसभा में पारित होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में भारत का ध्वज और संविधान लागू हो गया है.

अनुच्छेद-370 हटने के एक महीने बाद ही राज्य की 4,483 पंचायतों को 366 करोड़ रूपये दिए गए. वहीं सरपंचों को प्रति महीने 2,500 रूपये की प्रोत्साहन राशि और पंचों को 1 हज़ार रूपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला लिया गया.

डोडा में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाए जाने से यहां विकास के द्वार खुल गए हैं. अनुच्छेद-370 हटने के एक महीने बाद ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में निवेशकों से वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने इसी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए यहां सबसे पहले निवेश के लिए आमंत्रण दिया.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में खाली पड़े पदों को भी भरा जा रहा है. पिछले एक साल में यहां कई नियुक्तियां भी हुई हैं और उन्हें सीधे सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है.

अनुच्छेद-370 हटने के एक महीने बाद ही राज्य की 4,483 पंचायतों को 366 करोड़ रूपये दिए गए. वहीं सरपंचों को प्रति महीने 2,500 रूपये की प्रोत्साहन राशि और पंचों को 1 हज़ार रूपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला लिया गया.

इसके अतिरिक्त एडीबी की मदद से 150 मिलियन की लागत से जम्मू और श्रीनगर में हर घर तक 24 घंटे पीने का पानी पहुंचाने की योजना पर काम जारी है. श्रीनगर में 2024 तक मेट्रो शुरू कर देने का निर्णय भी अनुच्छेद-370 हटने के तुरंत बाद ही लिया गया. ऐसे बहुत से निर्णय अनुच्छेद-370 समाप्त होने के महीने भर के भीतर ही सरकार ने लिए जो जम्मू-कश्मीर की तस्वीर बदलने वाले हैं.

अभी एक महीने पहले यानी जून में ही केंद्र सरकार ने लद्दाख क्षेत्र में सड़क निर्माण में रत निजी, शासकीय, आउटसोर्स, अनुबंधित सभी प्रकार के कर्मचारियों को जबर्दस्त वेतनवृद्धि की सौगात दी. इनका वेतन 70 से 110 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया. कहा जा सकता है कि लद्दाख का आर्थिक, कार्मिक उन्नयन अब सरकार का स्वयं का ध्येय है.

जम्मू-कश्मीर में सरकारी अधिकारियों और पुलिस सेवा के लोगों को एलटीसी, एचआरए, हेल्थ स्कीम जैसी सुविधाएं नहीं मिलती थीं, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को ये सेवाएं दी जाती हैं. अब ये

सारी सुविधाएं यहां भी दी जाने लगी हैं.

असल में अनुच्छेद 370 और 35ए ने कश्मीर को सिवाय आतंकवाद और खून-खराबे के कुछ नहीं दिया और ये क्षेत्र विकास के क्रम में बहुत पीछे रह गया था. यह सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार का माद्दा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुरुषार्थ है कि उन्होंने भगीरथ प्रयासों से इस पूरे अंचल को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर दिया है. मोदी सरकार की गुड गवर्नेंस की बात कोई जुमला नहीं, एक व्यवहारिक सत्य है जो इस प्रकरण से पुष्ट होता है.

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दो माह बाद यानी अक्टूबर, 2019 में जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख में जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल (BDC) चुनाव हुए तो कोई हिंसा की घटना सामने नहीं आई. यह लोकतंत्र में लोगों के अटूट विश्वास और महत्व को दर्शाता है. यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना इसलिए भी थी, क्योंकि 1947 में देश को मिली आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ था.

इसी वर्ष 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने जब अपना बजट पेश किया तो पूरे देश की निगाहें उस पर थीं. लोग जानना चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लिए सरकार के पिटारे में क्या है. संसद में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जम्मू-कश्मीर को 30 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक राशि विकास योजनाओं के लिए दिए जाने की घोषणा की तो विदेशी मीडिया तक में यह चर्चा का विषय बना.

नये केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख को भी पहली बार आम बजट में स्वतंत्र रूप से 5,958 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई. जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित हिस्सों में बांटे जाने के बाद केंद्र सरकार का यह पहला बजट था.

सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रूपये की राशि का बजटीय प्रावधान करते हुए यह साबित कर दिया कि वो इन दोनों नये केंद्र शासित प्रदेशों के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर में एक-एक एम्स की स्थापित करने का काम भी जारी है. इन सब चीजों के बीच वे तमाम अलगाववादी एवं उग्रवादी ताकतें जो कश्मीर को हिंसा में आग में झोंककर खुद का उल्लू सीधा करती आ रही थीं, अचानक बैकफुट पर आ गईं हैं.

अभी बस एक साल ही गुजरा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 से मुक्ति के बाद बदलाव के बेहतर संकेत मिल रहे हैं. निश्चित रूप से आने वाले समय में देश का यह सूबा विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और तब जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के बाशिंदे अपने जनकवि पंडित दीनानाथ कौल की इन पंक्तियों को याद करके नए अर्थ पाएंगे – 'हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन.'

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद-370 की समाप्ति से टूटी आतंकवाद की कमर, पनप रही विकास की नयी संभावनाएं

राजीव प्रताप सिंह

जब भी हम जम्मू-कश्मीर की बात करते है, बरबस ही हमारे मन-मस्तिष्क में अनेक बिम्ब उमड़ने-घुमड़ने लगते हैं. उन विम्बों के मूल में जो सबसे बड़ी समस्या थी, वह अब अतीत की बात हो गई है. जी हाँ, निश्चित तौर से अनुच्छेद-370 की बात हो रही है. 5 अगस्त, 2019 की तारीख थी, जब इससे सम्बंधित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और पूर्ण बहुमत के साथ पारित भी हो गया. इस विधेयक के कानून बनने के बाद से अबतक बहुत कुछ बदल गया है.

जम्मू-कश्मीर के विकास में वर्षों से अनुच्छेद-370 एक अड़चन साबित हो रहा था, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक में संशोधित किया गया. इस संशोधन के बाद यह अधिनियम 31 अक्टूबर, 2019 से लागू हो गया. अब इस राज्य में जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नाम से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं. लद्दाख में निर्वाचित विधानसभा नहीं है, वहीं जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है. साथ ही अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के अनुसार शासित हैं न कि एक अलग संविधान द्वारा.

अनुच्छेद-370 के कारण कश्मीर के विकास में आ रही अड़चनों को हटाना, अपने पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ की स्थापना के पहले दिन से भाजपा के प्रमुख वैचारिक लक्ष्यों में से एक था. जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1953 में इस अनुच्छेद को रद्द करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसी के बाद श्रीनगर जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी.

निश्चित रूप से अनुच्छेद-370 के कारण अनेक ऐसी क़ानूनी अड़चनें थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में बाहर का व्यक्ति कोई निवेश नहीं कर

सकता था. इस अड़चन का दुष्प्रभाव राज्य में प्रत्येक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता था; चाहे वह स्वास्थ्य हो, उद्योग-धंधे हों, पर्यटन हो, शिक्षा हो या महिला अधिकारों की बात हो. इसका खामियाजा वहां के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा था.

इसी क्रम में अधिनियम बनने के बाद विगत 31 मार्च, 2020 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य विधि का अनुकूलन) आदेश-2020 को अधिसूचित किया. इस अधिसूचना के अधिरोपित होते ही राज्य में पूर्व में प्रचलित कानूनों को वर्तमान सन्दर्भ में अनुकूलित करने का प्रयास किया गया है. इस अधिसूचना के द्वारा कुछ कानूनों में संशोधन तथा कुछ को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है. इस संशोधन के द्वारा आम जनों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रयास किये गए हैं, इससे अब जनसामान्य को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा.

नई अधिवासन नीति में वाल्मीकि समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, इससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा, उन्हें 1957 में ही पंजाब से यहाँ ले आकर बसाया गया था. इसके साथ ही अन्य राज्यों की तरह अब जम्मू-कश्मीर राज्य की महिलाऐं भी राज्य के बाहर के व्यक्ति से भी शादी कर सकेंगी, तब भी उनके सभी अधिकार पूर्व की तरह सुरक्षित रहेंगे.

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह को निषेध करने वाला अधिनियम सहित अनेक अन्य कानून भी अब अन्य राज्यों की भांति जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे. इस नीति के क्रियान्वयन के बाद पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को पांच लाख रुपए की सहायता के साथ जम्मू और कश्मीर के अधिवास की गारंटी दी जा रही है.

इनके अतिरिक्त इस अधिसूचना के द्वारा जम्मू-कश्मीर के राहत एवं पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत विस्थापित भी अब जम्मू के अधिवासी माने जाएंगे. आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई निजी

जम्मू-कश्मीर के विकास में वर्षों से अनुच्छेद-370 एक अड़चन साबित हो रहा था, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक में संशोधित किया गया. इस संशोधन के बाद यह अधिनियम 31 अक्टूबर, 2019 से लागू हो गया. अब इस राज्य में जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नाम से दो केंद्र शासित प्रदेश हैं. लद्दाख में निर्वाचित विधानसभा नहीं है, वहीं जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है. साथ ही अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के अनुसार शासित हैं न कि एक अलग संविधान द्वारा.

विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि निजी विश्वविद्यालय में बड़े निवेश की आवश्यकता होती है और पूर्व में अनेक क़ानूनी अड़चनों के कारण यह संभव नहीं था. पूर्व की सरकारों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों की सहूलियत की कीमत पर तुष्टिकरण की राजनीति की और अलगाववादियों को खूब प्रश्रय दिया, जिसका परिणाम बेरोजगारी और ऐसी समस्याओं के रूप में हमारे सामने है.

शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के कारण प्रदेश से जो पलायन होता था, अब उसमें कमी आने की संभावना है, क्योंकि अनुच्छेद-370 हटने के बाद राज्य में निवेश करना अन्य राज्यों की ही तरह आसान हो गया है.

यदि राज्य में निवेश बढ़ेगा तो स्वतः ही रोजगार सृजित होगा और यहाँ के लोग सशक्त होंगे तथा राज्य के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे. जम्मू कश्मीर में पर्यटन एक बड़ा व्यवसाय है, लेकिन आनुपातिक रूप में निवेश के अभाव में यह उतना नहीं फलफूल सका, जितना होना चाहिए था. लेकिन अब निवेश से पर्यटन के इस व्यवसाय को बल मिलेगा. इन सभी बातों के बावजूद जो लोग अनुच्छेद-370 हटाए जाने का विरोध कर रहे उनसे पूछा जाना चाहिए कि इससे उनका क्या नुकसान हो रहा है?

अनुच्छेद-370 हटाने का विरोध करने वालों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट को देखना चाहिए जिसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में 36% की कमी आई है. गत वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 188 आतंकी गतिविधियाँ दर्ज की गई जबकि इसी अवधि में इस वर्ष 120 आतंकी गतिविधियाँ दर्ज की गई.

इसी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जुलाई के बीच गत वर्ष 126 आतंकी मारे गए जबकि इसी अवधि के दौरान इस वर्ष 136 आतंकी मारे गए. आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं की संख्या में भी 40 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है.

स्थानीय युवाओं का आतंकवाद की तरफ नहीं बढ़ना दिखाता है कि अब उन्हें विकास की संभावनाएं दिख रही हैं और वे अपना हित समझ गए हैं. इस तरह वे युवा अपने साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के विकास को भी गति देंगे. इस रिपोर्ट में अनेक अन्य सकारात्मक संकेत भी देखे जा सके हैं.

अनुच्छेद-370 हटने के बाद यदि इस तरह के सकारात्मक संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं; तो फिर इसका विरोध क्यों? राजनीति करने के लिए अनेक विषय हो सकते हैं लेकिन किसी की जान की कीमत पर राजनीति स्वीकार्य नहीं हो सकती. देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में शांति बहल होना चाहिए. इसके लिए राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी दलों को सरकार के साथ आकर काम करने की आवश्यकता है.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए संकल्पित केंद्र सरकार

मनुजम पाण्डेय

वक़्त बदलता है, नजरिये बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन यह संभव तब होता है जब आप उस परिवर्तन के प्रति संकल्पित होते हैं. जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. इस एक वाक्य की धुरी पर पिछले कई सालों तक कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने राजनीति तो की लेकिन जब भी बात जम्मू-कश्मीर में विकास की हो, घाटी के लोगों के जीवन में सुधार की हो, तब कांग्रेस चुप्पी की चादर ओढ़ लेती थी.

भारत की राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन 2014 में हुआ, उससे जम्मू-कश्मीर के भाग्योदय का श्रीगणेश होना कहा जाएगा. केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकता भाषणों में ही नहीं वरन जमीन पर भी दिखाई और घाटी के लोगों के जीवन में बदलाव आए ऐसी नीतियों का निर्माण करना प्रारम्भ किया. किन्तु इस बदलाव के सबसे बड़ी बाधा अनुच्छेद 370 की दिवार थी. जिसे उचित समय आते नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने उस दिवार को जमीदोंज कर दिया और जम्मू-कश्मीर में विकास के रोड़े को हमेशा के लिए हटाकरविकास के नये द्वार खोले.

पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को जब गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी संबंधी घोषणा कर रहे थे बल्कि वे घाटी में होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तन आधारशिला भी रख रहे थे. आज नए-नए पॉवर प्रोजेक्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर के कामों में अभूतपूर्व तेज़ी हम देख सकते हैं. कटरा से दिल्ली तक के रोड कॉरिडोर का के सर्वे का काम पूरा हो चुका है. जम्मू और बारामूला के बीच 356 किलोमीटर की रेलवे लाइन का कार्य भी पूर्ण होने वाला है, जो निश्चित ही कश्मीर के लिए नई जीवनरेखा साबित होगी.

कूपवाड़ा के 7500 से ज्यादा परिवारों के घरों को रोशन करने के लिए करीब-करीब 100 करोड़ के हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है. परियोजना पूरी होने के बाद 32 पंचायतें निर्बाध रूप से बिजली पा सकेंगी. इसके अलावा किश्तवाड़ में 624 मेगावाट और 4000 हजार करोड़ की बिजली परियोजना पर काम

कूपवाड़ा के 7500 से ज्यादा परिवारों के घरों को रोशन करने के लिए करीब-करीब 100 करोड़ के हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है. परियोजना पूरी होने के बाद 32 पंचायतें निर्बाध रूप से बिजली पा सकेंगी. इसके अलावा किश्तवाड़ में 624 मेगावाट और 4000 हजार करोड़ की बिजली परियोजना पर काम हो रहा है.

हो रहा है.

इसी क्रम में राज्य की सबसे बड़ी बिजली योजना पक्कुल-दुल में शुरू होगी. 1000 मेगावाट की यह परियोजना न सिर्फ घाटी को रोशन करेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी. यह मात्र एक सरसरी सी निगाह है जम्मू-कश्मीर में होते सकारात्मक बदलावों पर, यकीनन इसके अलावा भी ऐसी ही बहुत सी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं जो घाटी की तस्वीर और तकदीर बदल देगी.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि सालों-साल जम्मू कश्मीर का जो चित्र हम सभी के मन-मस्तिष्क में स्थापित हो गया उसमें सिर्फ अलगाववाद, आतंकवाद था. उसमें सिर्फ पत्थरबाजी थी. उसमें सिर्फ सेना की गाड़ियों पर हमला करना था, लेकिन स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है. आज पूरे जम्मू-कश्मीर में व्यापक बदलाव लाने के लिए मोदी सरकार ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है. घाटी के लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि यह सरकार उनके विकास के लिए संकल्पित है.

ऋषि मुनियों के काल में जब किसी अच्छे कार्य के लिए यज्ञ शुरू किया जाता था तब उस संकल्प को अपूर्ण करने की चेष्टा हमेशा नकारात्मक प्रवृतियां ही करती थीं. ठीक उसी तरह जब जम्मू-कश्मीर के विकास को लेकर, जम्मू-कश्मीर में सकारात्मक और जनहित में किए जा रहे परिवर्तनों को लेकर मोदी सरकार संकल्पित है, तो स्वाभाविक है किनकारात्मक शक्तियां भी अपने कार्य पर लगेंगी.

उन्हें घाटी में पंचायत का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, वर्षों से उपेक्षित दलित समुदाय को मुख्य धारा में शामिल होना हजम नहीं हो रहा है. इसकेलिए वह आज भी तमाम प्रकार के भ्रमों को फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन घाटी की जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि सरकार उनके लिए नई-नई नीतियाँ बना रही है, सरकार खुद उनके द्वार उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आ रही है. ऐसे में उनके पैतरें किसी काम नहीं आ रहे है.

जब से धारा 370 हटाई गई है तब से देश में एक धड़ा विरोध कर रहा है और कहीं न कहीं ऐसे लोग स्वयं को विकास विरोधी सिद्ध कर रहे हैं. बावजूद इसके हमें नहीं भूलना चाहिए कि अंततोगत्वा लोक-कल्याण के लिए किया गया यज्ञ ही पूर्ण होता है. जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह विश्वास है कि उनके हित के लिए कार्यरत और प्रयत्नशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सद्भावना से प्रेरित कार्य में सफल होंगे.

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

जम्मू-कश्मीर में नए युग की शुरुआत, लंबे समय से वंचित व उपेक्षित तबकों को मिलेगा लाभ

प्रो. रसाल सिंह

भारतवासियों और भारत सरकार के लिए जम्मू-कश्मीर आजादी के बाद से ही चर्चा और चिंता का विषय रहा है. आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के समय कुछ -अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान- संविधान में किए गए थे. इन प्रावधानों को अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए के नाम से जाना जाता रहा है. इन विशेष प्रावधानों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में अस्थायी रूप से कुछ अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी. जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले और सबसे जोरदार ढंग से इन अस्थायी, किंतु विशेष प्रावधानों का विरोध किया. विगत वर्ष पांच अगस्त को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन दोनों अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों को समाप्त कर दिया.

इसके बाद 31 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य विधि का अनुकूलन) आदेश-2020 अधिसूचित किया था. इस आदेश के तहत राज्य में पूर्व प्रचलित कुछ कानूनों में आंशिक संशोधन और कुछ कानूनों को पूर्ण रूपेण निरस्त किया गया है. इसी आदेश में जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम-2010 के खंड 2 में आंशिक बदलाव करते हुए -स्थायी निवासी- शब्द के स्थान पर –अधिवासी- शब्द जोड़ा गया है. इसी संशोधित अधिनियम के खंड 3ए के अंतर्गत –अधिवासी- शब्द को परिभाषित किया गया है. इस परिभाषा के अनुसार कम से कम 15 वर्ष या उससे अधिक समय तक जम्मू-कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति –अधिवासी- माने जाएंगे.

इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के शिक्षण संस्थानों से अपनी 10वीं या 12वीं की

31 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य विधि का अनुकूलन) आदेश-2020 अधिसूचित किया था. इस आदेश के तहत राज्य में पूर्व प्रचलित कुछ कानूनों में आंशिक संशोधन और कुछ कानूनों को पूर्ण रूपेण निरस्त किया गया है.

पढ़ाई को मिलाकर कम से कम सात वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले भी अधिवासी माने जाएंगे. कम से कम 10 वर्षों तक जम्मू-कश्मीर में सेवा देने वाले केंद्रीय सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, अन्य उपक्रमों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अन्य केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों आदि के कर्मचारी, अधिकारी और उनके बच्चे भी अधिवासी माने जाएंगे. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के राहत एवं पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत विस्थापित भी अधिवासी माने जाएंगे. इस अधिवासन नीति का परिणाम यह होगा कि उपरोक्त श्रेणियों के सभी व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करके अपना अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे. ये सभी अधिवासी जम्मू-कश्मीर राज्य के नागरिकों के लिए निर्धारित सभी सुविधाओं के पात्र होंगे. जम्मू-कश्मीर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, सभी प्रकार की सेवाओं, नौकरियों में भागीदारी कर सकेंगे और घर, जमीन-जायदाद खरीद सकेंगे.

हालिया लागू की गई इस नई अधिवासन नीति से लंबे समय से वंचित व उपेक्षित बहुत से तबकों को लाभ होगा. इन तबकों में वाल्मीकी समुदाय के ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें 1957 में पंजाब से लाकर जम्मू-कश्मीर में बसाया गया था. तत्कालीन सरकार द्वारा यहां के सफाईकर्मियों की लंबे समय से जारी हड़ताल को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन 1957 से 31 मार्च 2020 तक किसी ने अपना घर-द्वार छोड़कर आए इस अभागे दलित समुदाय की सुधि नहीं ली. इसी प्रकार इस नई नीति से पश्चिमी पाकिस्तान से उजाड़े और खदेड़े गए शरणार्थियों को भी उनके मानव अधिकार और नागरिक अधिकार मिल सकेंगे. यह नीति 1990 में कश्मीर घाटी से भगाए गए कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर भी कुछ मलहम लगा सकेगी. कश्मीरी पंडितों का उनके घर में किया गया कत्लेआम और फिर क्रूर विस्थापन स्वातंत्र्योत्तर भारत का अपराधबोध है. इस पाप का परिमार्जन अतिआवश्यक है. इसी प्रकार यह नीति जम्मू-कश्मीर से बाहर विवाह करने वाली लड़कियों और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित करती है. इससे पहले उन्हें उनके इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था. अब ऐसा नहीं हो सकेगा.

जम्मू-कश्मीर केंद्रित राजनीति करने वाले कई राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार की नई अधिवास नीति का विरोध किया है. वास्तव में ये दल विरोध तो अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को हटाए जाने का भी कर रहे हैं, परंतु यह विरोध वैधानिक और

सत्यप्रेरित न होकर राजनीतिक और स्वार्थ प्रेरित है. वे साधनों, संसाधनों और शासन-प्रशासन में अपना विशेषाधिकार और वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं. उनका तर्क यह है कि इस नीति से जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकी बदल जाएगी. बाहर के लोग यहां आकर बस जाएंगे और यहां के साधनों-संसाधनों को हड़प लेंगे.

वस्तुतः उपरोक्त सभी तर्क खोखले हैं. भारत में संघीय व्यवस्था है. एक राज्य के नागरिकों को कहीं भी बसने, जमीन-जायदाद खरीदने, नौकरी-व्यवसाय करने की आजादी और अधिकार संविधान प्रदत्त हैं. अपने ही देश के नागरिक –बाहरी- कैसे हो जाते हैं, किनके लिए और क्यों हो जाते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है. आज भारत के कोने-कोने से आकर लोग जम्मू-कश्मीर की सेवा कर रहे हैं. यहां घरेलू कामगारों, ढांचागत निर्माण मजदूरों और कृषि मजदूरों के रूप में बहुत बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि के प्रवासियों की है, बल्कि बहुत से उद्योग और निर्माण कार्य पूरी तरह उनके ऊपर ही निर्भर हैं. जो अपने जीवन का सर्वोत्तम यहां लगा रहे हैं, अगर वे यहां अपने अधिकार नहीं मांगेंगे तो और कहां मांगेंगे? क्या जम्मू-कश्मीर के नागरिक दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु में नौकरी और व्यवसाय नहीं करते? क्या वे भारत के अन्य शहरों में जमीन-जायदाद नहीं खरीदते? क्या देश के किसी भी कोने में उनके बसने, काम करने पर पाबंदी है? यदि अन्य राज्य भी अपनी-अपनी सीमाओं पर दीवारें खड़ी कर दें तो फिर एक राष्ट्र और राष्ट्रीयता का क्या अर्थ रह जाएगा? एक राष्ट्र में छोटे-छोटे स्वार्थों और सहूलियतों किलेबंदी की नीति और राजनीति अब अतीत का अध्याय है. युवा पीढ़ी नए अवसर और प्रतिस्पर्धा चाहती है. शिक्षण संस्थाएं और उद्योग चाहती है. इन चाहतों को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश आवश्यक है. उसके लिए हमें –बाहरियों- का स्वागत करने का मनोभाव बनाना होगा.

जम्मू-कश्मीर केंद्रित राजनीति करने वाले कई राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार की नई अधिवास नीति का विरोध किया है. वास्तव में ये दल विरोध तो अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को हटाए जाने का भी कर रहे हैं, परंतु यह विरोध वैधानिक और सत्यप्रेरित न होकर राजनीतिक और स्वार्थ प्रेरित है. वे साधनों, संसाधनों और शासन-प्रशासन में अपना विशेषाधिकार और वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं. उनका तर्क यह है कि इस नीति से जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकी बदल जाएगी. बाहर के लोग यहां आकर बस जाएंगे और यहां के साधनों-संसाधनों को हड़प लेंगे.

(लेखक- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, यह लेख दैनिक जागरण से लिया गया है. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

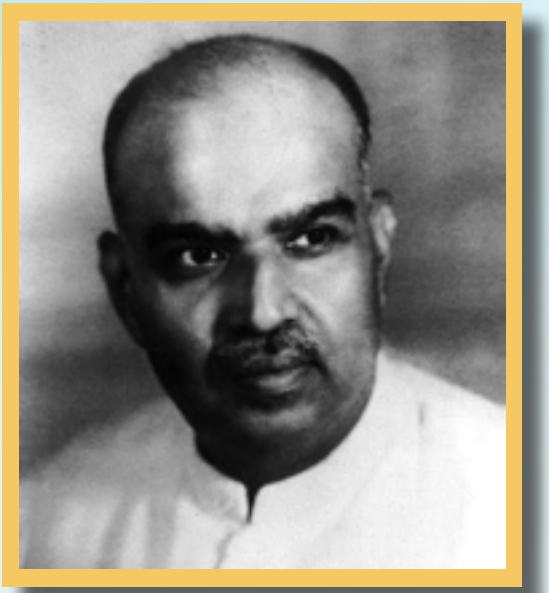

"जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक हिस्सा है, और उस राज्य मे संविधान के अनुसार ही शासन होना है, सुझाव है - भारतीय संविधान को स्वीकार करें. यह संविधान सभा द्वारा गठित एक संविधान है, जिसमें स्वयं श्री जवाहरलाल नेहरू का प्रभुत्व था. यह एक संविधान है जो धर्मनिरपेक्ष विचारों पर आधारित है. यह किसी भी सांप्रदायिक उद्देश्यों से निर्धारित संविधान नहीं है. अगर यह भारत के चार करोड़ मुसलमानों के लिए अच्छा है, तो यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता है?"

- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हस्तक्षेप-17 फरवरी, 1953

Published By:

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

9, Ashoka Road New Delhi - 110001

E-mail: office@spmrf.org, Phone: 011-23005850